



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 391]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 6, 2019/कार्तिक 15, 1941

No. 391]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 6, 2019/KARTIKA 15, 1941

## ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2019

**सं. बीईई/एस एण्ड एल/टीएफएल/63/2019-20.**—कुछ विनियमों के निम्नलिखित मसौदे, जिन्हें ब्यूरो, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अर्थात् ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ( ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैंप के लेबलों पर इनके प्रदर्शन के विवरण और रीति) विनियम, 2018, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड (ढ) के साथ पठित धारा 58 की उपधारा (2) के खण्ड (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो उक्त अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (1) द्वारा यथा-अपेक्षित इससे संभावित प्रभावित सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है; और सूचना दी जाती है कि उक्त मसौदा विनियमों को जनता को उपलब्ध कराने के लिए सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने पर या उसके बाद विचार किया जाएगा;

आपत्ति या सुझाव, यदि कोई हो, महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय, चौथा तल, सेवा भवन, रामकृष्ण पुरम, सैक्टर 1-, नई दिल्ली-110 066 को संबोधित किए जाएं।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा उक्त मसौदा विनियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से पैरा 1 में विनिर्दिष्ट 30 दिनों की अवधि समाप्त होने से पूर्व प्राप्त होने वाले किसी आपत्ति या सुझाव पर विचार किया जाएगा।

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : -(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैम्पों पर उनके प्रदर्शन का विवरण और रीति), संशोधन विनियमन, 2019 है।  
(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- उक्त अधिसूचना में,-  
(i) विनियम (6) के उप-विनियम (2) को इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा;

“(2) उप-विनियम (1) के अधीन ब्यूरो की अनुमति प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए, अनुज्ञाधारक को हर ब्रांड के लिए अलग से पंजीकरण कराने के लिए प्ररूप 1 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करना होगा, एक लाख रुपए का लेबल प्रतिभूति शुल्क देय होगा, जो केवल भुगतान के किसी भी स्वीकार्य इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा देय होगा;

बशर्ते कि लघु उद्योग के लिए लेबल सुरक्षा शुल्क पच्चीस हजार रुपए होगा; ”

(ii) विनियमन (6) के उप-विनियम (3) के खंड (क) और (ख) को इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा;

“(क) भुगतान के किसी भी स्वीकार्य इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा देय प्रति मॉडल दो हजार रुपए का आवेदन शुल्क;

“(ख) ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय पोर्टल पर प्ररूप 1 में निर्दिष्ट दस्तावेज अपलोड किया जाए;

जिसमें, ऑनलाइन आवेदन, प्रपत्र 1 और अन्य दस्तावेजों की हार्ड कॉपी को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के कार्यालय को भेजना आवश्यक नहीं है;

बशर्ते, इस तरह के हर दस्तावेज को विधिवत सीलबंद रूप में और मुहर लगाकर ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय पोर्टल पर अपलोड किया गया हो।

(iii) विनियम (7) के उप-विनियम (4) को इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा;


“(4) नवीकरण अनुमति के लिए अनुज्ञाधारक इसके समाप्त होने के छह महीने से पहले, लेकिन इसकी समाप्ति से तीन महीने पहले नहीं, आवेदन करेगा, और किसी भी स्वीकार्य इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा देय एक हजार रुपए के शुल्क के साथ होगा।”

(iv) ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैम्प की अनुसूची के लिए पैरा (1) के उप पैरा (i) के खंड (क) का विलोपन किया जाए;

(v) ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैम्प की अनुसूची के लिए पैरा (1) के उप पैरा (i) के खंड (ख) को प्रतिस्थापित किया जाएगा जिसे अब (क) के समान माना जाएगा;

(क)

(i) बाहरी केसिंग/ स्लीव पर लगाए जाने वाले लेबल के आयाम




**टिप्पणी :** बाहरी केसिंग के आकार के अनुसार लेबल के आयाम अपेक्षाकृत कम हो सकते हैं, बशर्ते लेबल के पहलू अनुपात समान बने रहें।

(ii) ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप पर मुद्रांकन करने के लिए लेबल का आकार




**टिप्पणी :** लेबल के आयामों को ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के व्यास के अनुसार अपेक्षाकृत कम किया जा सकता है, बशर्ते लेबल के पहलू अनुपात समान बने रहें।

- (iii) ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैम्प की अनुसूची के लिए पैरा (1) के उप पैरा (ii) के खंड (क) का विलोपन किया जाएगा;
- (iv) ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैम्प की अनुसूची के लिए पैरा (1) के उप पैरा (ii) के खंड (ख) को इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा, जिसे अब (क) के समान माना जाएगा;
- (क)



- (v) प्ररूप II के अनुलग्नक में पैरा 3 के उप पैरा (1) के खंड (क), का विलोपन किया जाएगा;
- (vi) प्ररूप II के अनुलग्नक में पैरा 3 के उप पैरा (1) को अब खंड (क), माना जाएगा, जिसे इस प्रकार प्रतिस्थापन किया जाएगा;
- (क)



पत्र में प्रदान किए गए अद्वितीय लेबल श्रृंखला कोड को ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के बाहरी आवरण/स्लीव पर चिपकाए गए लेबल में उल्लिखित किया जाना है।

अभय बाकरे, महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

[विज्ञापन-III/4/असा./278/19]

## THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

### NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2019

**No. BEE/S&L/TFL/63/2019-20.**—The following draft of certain regulations which the Bureau, with the previous approval of the Central Government proposes to amend, that is the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Tubular Fluorescent Lamps) Regulations, 2018, in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 58 read with clause (n) of sub-section (2) of section 13 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), is hereby published as required by sub-section (1) of section 58 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director-General of Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power, 4<sup>th</sup> Floor, Sewa Bhawan, R.K.Puram, Sector-1, New Delhi-110066;

Objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of the period of thirty days specified in para 1 above shall be taken into consideration by the Bureau of Energy Efficiency.

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Tubular Fluorescent Lamps), Amendment Regulations, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the said notification,-
  - (i) Sub-regulation (2) of Regulation (6) shall be substituted as;
 

“(2) For the purpose of obtaining permission of the Bureau under sub-regulation (1), permittee shall make online application as per Form I to register himself for every brand separately, accompanied by a label security fee of rupees one lakh, payable only by any acceptable electronic mode of payment:

Provided that the label security fee for small scale industry shall be twenty-five thousand rupees;”
  - (ii) Clause (a) and (b) of sub-regulation (3) of regulation (6) shall be substituted as;
 

“(a) an application fee of two thousand rupees per model, payable by any acceptable electronic mode of payment;

“(b) documents specified in Form I to be uploaded on portal while submitting application online;


Wherein, no hard copy of the online application, Form I and other documents are required to be send to the office of Bureau of Energy Efficiency;

Provided, every such document, duly sealed and stamped has been uploaded on portal while submitting the application online.
  - (iii) Sub-regulation (4) of Regulation (7) shall be substituted as;
 

“(4) The permittee shall apply for renewal of permission before six months but not later than three months before its expiry and shall be accompanied by a fee of one thousand rupees payable by any acceptable electronic mode of payment.”
  - (iv) Clause (a) of sub-para (i) of paragraph (1) for schedule of tubular fluorescent lamps shall be deleted;
  - (v) Clause (b) of sub-para (i) of paragraph (1) for schedule of tubular fluorescent lamps which shall now be re-called as (a) shall be substituted as;


(a)

- (i) Dimension of the label to be affixed on outer casing/ sleeve



**Note:** The dimensions of label may be relatively reduced in accordance with the size of the outer casing, provided the aspect ratio of the label shall remain the same.


- (ii) Dimension of the label to be stamped on the tubular fluorescent lamp



**Note:** The dimensions of label may be relatively reduced in accordance with the diameter of the tubular fluorescent lamp, provided the aspect ratio of the label shall remain the same.


- (vi) Clause (a) of sub-para (ii) of paragraph (1) for schedule of tubular fluorescent lamps shall be deleted;
- (vii) Clause (b) of sub-para (ii) of paragraph (1) for schedule of tubular fluorescent lamps which shall now be re-called as (a) shall be substituted as;

(a)



- (viii) Clause (a) of sub-paragraph (1) of paragraph 3 in Annexure to Form II, shall be deleted;
- (ix) Clause (b) of sub-paragraph (1) of paragraph 3 in Annexure to Form II which shall now be re-called as clause (a), shall be substituted as;

(a)



The unique label series code provided in the letter has to be mentioned in the label affixed on the outer casing/sleeve of the tubular fluorescent lamp.

ABHAY BAKRE, Director General, Bureau of Energy Efficiency

[ADVT.-III/4/Exty./278/19]